रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 684] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 22, 2019/अग्रहायण 1, 1941
No. 684] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 22, 2019/AGRAHAYANA 1, 1941

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली,19 नवम्बर, 2019

सा.का.नि. 867(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और महानिदेशालय कारखाना सलाह और श्रम संस्थान (समूह 'क' और समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 1989 को उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने से लोप किया, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन कारखाना सलाह सेवा और श्रम संस्थान महानिदेशालय में समूह 'क' के विभिन्न पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कारखाना सलाह सेवा और श्रम संस्थान महानिदेशालय (समूह 'क' चिकित्सा विषय संबंधी पद) भर्ती नियम, 2019 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को लागू होंगे।

2. लागू होना.—ये नियम, इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ(1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मेट्रिक्स में स्तर.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मेट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, और अन्य अर्हताएं आदि.—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5.निरर्हता.—वह व्यक्ति

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6.शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं,उन्हें लेखबद्ध करके,तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयुसीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसारअनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पदनाम	पदों की संख्या	पद का वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या गैर चयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 निदेशक (चिकित्सा)	2* (2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केंद्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित अननुसचिवीय	स्तर 12 (78,800-2,09,200) और प्रेक्टिसबंदी भत्ता	चयन	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिणिक और अन्य अहर्ताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकेने पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
11
प्रोन्नति: वेतन मेट्रिक्स में स्तर 11 (67,700-2,08,700 रु.) में ऐसे उप निदेशक (चिकित्सा) अधिकारी जो ग्रेड में 5 वर्ष की नियमित सेवा कर चुके हैं और जिन्होंने सामाजिक और रोकथामपरक औषधि या औद्योगिक हाईजिन या शरीरक्रिया विज्ञान संबंधी औषधि या व्यावसायिक स्वास्थ्य में दो सप्ताह का प्रशिक्षण प्राप्त किया हो। **टिप्पण** : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित):** केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या स्वायत्त या कानूनी संगठनों या पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या अनुसंधान संस्थानों के ऐसे अधिकारी जो

(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए, या

(ii) जिन्होंने वेतन मेट्रिक में स्तर11 (67,700-2,08,700 रु.) या इसके समतुल्य पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात ग्रेड में 5 वर्ष की नियमित सेवा की हो।

(ख) जो निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हता और अनुभव रखते हों:

अनिवार्य : भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की पहली या दूसरी अनुसूची या तीसरी अनुसूची के भाग 2 (अनुज्ञप्ति प्राप्त अर्हता के अलावा) में मान्यताप्राप्त चिकित्सा अर्हता सम्मिलित है।तीसरीअनुसूची के भाग 2 में शामिल शैक्षणिक अर्हता प्राप्त उम्मीदवार को उक्त अधिनियम के खंड 13(3) में निर्धारित शर्तों को पूरा करना होगा।

(ii) व्यावसायिक स्वास्थ्य रोग केन्द्र या कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय या कर्मचारी राज्य बीमा निगम के व्यावसायिक स्वास्थ्य सेवा केन्द्र या निर्माण उद्योग या कारखानों या पत्तनों या खानों में स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में 5 वर्षों के अनुभव सहित10 वर्षों का व्यावसायिक अनुभव।

वांछनीय: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सामाजिक और रोकथामपरक औषधि या औद्योगिक हाईजिन या शरीर क्रिया विज्ञान संबंधी औषधि या व्यावसायिक स्वास्थ्य में परास्नातक डिग्री या डिप्लोमा या औद्योगिक स्वास्थ्य में असोसिएट फेलो (एएफआईएच)।

टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति के अवधि है साधारणतया 4 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रति नियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	**भर्ती करने में किन परिस्थितियो में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा**
(12)	(13)
समूह'क'विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग – अध्यक्ष 2. अपर सचिव या संयुक्त सचिव या निदेशक या समकक्ष अधिकारी, श्रम और रोजगार मंत्रालय – सदस्य 3. महानेदशक/उपमहानिदेशक, कारखाना सलाह सेवा एवं श्रम संस्थान महानिदेशालय – सदस्य	प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) पर अधिकारी की नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लेना आवश्यक है

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(2) उपनिदेशक (चिकित्सा)	5* (2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित अननुसचिवीय	स्तर 11 (67,700-2,08,700) और प्रेक्टिसबंदी भत्ता	लागू नहीं होता।

(6)	(7)
40 वर्षों से अधिक नहीं। (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्षों तक शिथिल की जा सकती है)	**अनिवार्य** i) भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की पहली या दूसरी अनुसूची या तीसरी अनुसूची के भाग 2 (अनुज्ञाप्तिप्राप्त अर्हता के अलावा) में मान्यताप्राप्त चिकित्सा अर्हता शामिल है। तीसरी अनुसूची के भाग 2 में सम्मिलित शैक्षणिक अर्हता धारण करने वाले अभ्यर्थियों को उक्त अधिनियम की धारा 13(3) में अनुबद्ध शर्तों को पूरा करना होगा।

टिप्पण : आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित की जाएगी	ii) व्यावसायिक स्वास्थ्य रोग केन्द्र या कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय या कर्मचारी राज्य बीमा निगम के व्यावसायिक स्वास्थ्य से वा केन्द्र या निर्माण उद्योग या कारखानों या पत्तनों या खानों में स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में 3 वर्षों के अनुभव सहित 5 वर्षों का व्यावसायिक अनुभव। **वांछनीय**: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सामाजिक और रोकथामपरक औषधि या औद्योगिक हाईजिन या शरीरक्रिया विज्ञान संबंधी औषधि या व्यावसायिक स्वास्थ्य में परास्नातक डिग्री या डिप्लोमा या औद्योगिक स्वास्थ्य में असोसिएट फेलो (एएफआईएच)। **टिप्पणी1:** भर्ती के लिए आवेदन मंगवाते समय निश्चित शैक्षणिक अर्हता की जानकारी सूचित की जाएगी। **टिप्पणी 2**: अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। **टिप्पणी 3:**अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यार्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं	दो सप्ताह के प्रशिक्षण पूरा करने के अध्यधीन एक वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा **टिप्पणी**: पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार के निम्नलिखित अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी। (क) (i) मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं या (ii) मूल काडर या विभाग में वेतन मेट्रिक्स में स्तर10 (56,100-1,77,500 रुपए) या इसके समतुल्य पद पर 5 वर्ष की नियमित सेवा कर चुके हों। (ख) स्तंभ 7 में सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षणिक अर्हता और अनुभव रखते हों। **टिप्पण :** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति के अवधि है साधारणतया 4 वर्ष से अधिक नहीं होगा। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयुसीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(11)	(12)	(13)
लागू नहींहोता।	**समूह 'क' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टी पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:** 1. अपर सचिव या संयुक्त सचिवया समकक्ष अधिकारी, श्रम और रोजगार मंत्रालय - अध्यक्ष 2. निदेशक या उप सचिव या समकक्ष अधिकारी, श्रम और रोजगार मंत्रालय - सदस्य 3. महानिदेशक या उप-महानिदेशक, कारखाना सलाह सेवा एवं श्रम संस्थान महानिदेशालय - सदस्य.	सीधी भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जाएगा।

[फा. सं. ए-12018/01/2015-आईएसएच-I]

अनुराधा प्रसाद,अपर सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th November, 2019

G.S.R. 867(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Directorate General, Factory Advice Service and Labour Institutes (Group 'A' and Group 'B' Posts) Recruitment Rules, 1989, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to various Group 'A' posts in Directorate General Factory Advice Service and Labour Institutes under the Ministry of Labour and Employment, namely:-

1. **Short title and commencement.-**

 (1) These rules may be called the Directorate General Factory Advice Service and Labour Institutes (Group 'A' – Medical Discipline posts) Recruitment Rules, 2019.

 (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**- These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of posts, classification and Level in the Pay Matrix.-** The number of the said posts, their classification and the Pay Level in the Pay Matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

4. **Method of recruitment, age limit and other qualifications, etc..-** The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts, shall be as specified in columns (5) to (13) of the said schedule.

5. **Disqualification.**- No person,-

 (i) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

 (ii) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to any of the said posts:

 Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.-** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.-** Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Caste, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification of the post	Level in the Pay Matrix	Selection post or Non-Selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(1) Director (Medical)	2* (2019). *Subject to variation dependent on workload.	General Central Services; Group 'A' (Gazetted). Non-ministerial.	Level 12 (78,800 – 2,09,200) Plus Non-Practicing Allowance.	Selection.	Not Applicable.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Not Applicable.	Not Applicable.	Not Applicable.	Promotion failing which by deputation (including short term contract).

In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/ deputation/absorption to be made
(11)
Promotion: Deputy Director (Medical) in Level 11 (Rs. 67,700-2,08,700) in Pay Matrix with five years regular service in the grade and having completed two weeks of training in Social and Preventive Medicine or Industrial Hygiene or Physiological Medicine or Occupational Health. **Note:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation (including short term contract)**: Officers under the Central Government or State Governments or Union Territory Administration or Autonomous or Statutory Organisations or Public Sector Undertakings or Recognised University or Research Institutions: (a) (i) holding analogous posts on regular basis; in the parent cadre or department; or (ii) with five years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in Level 11 (Rs. 67,700-2,08,700) in the pay Matrix or equivalent; and (b) possessing the following educational qualifications and experience: **Essential:** (i) A recognised medical qualification included in the first or the Second Schedule or part II of the Third Schedule (other than the licentiate qualifications) to the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956). Holders of educational qualifications included in the part II of the Third Schedule should fulfil theconditions stipulated in section 13 (3) of the said Act. (ii) Ten years' professional experience including five years experience in occupational health in Factories or Ports or Mines or Construction Industry or Occupational Health Service Centre of Employees' State Insurance Corporation (ESIC) or Employees' State Insurance (ESI)Hospital or Occupational Health Disease Centre. **Desirable:** Post Graduate Degree or Diploma in Social and Preventive Medicine or Industrial Hygiene or Physiological Medicine or Occupational Health from a recognised university or Associate Fellow of Industrial Health (AFIH).

Note 1: The Departmental officers in the feeder grade who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment by deputation. Similarly, the deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2**: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall not exceed four years. The maximum age limit for appointment by deputation or contract shall be not exceeding 56 years as on the last date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances under which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
1**. Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:** (i) Chairman or Member, Union Public Service Commission – Chairman (ii) Additional Secretary or Joint Secretary or Director or equivalent rank officer, Ministry of Labour and Employment - Member (iii) Director General or Deputy Director General, Factory Advice Service and Labour Institutes -Member.	Consultation with Union Public Service Commission is necessary while appointing an officer on Deputation (including short term contract).

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(2) Deputy Director (Medical).	5* (2019) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'A' (Gazetted) Non-ministerial.	Level 11 (Rs. 67,700 – 2,08,700) Plus Non-Practicing Allowance.	Not applicable.

(6)	(7)
Not exceeding 40 years. (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.) **Note:** The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by UPSC.	**Essential:** (i) A recognized medical qualification included in the First or the Second Schedule or part II of the Third Schedule (other than the licentiate qualifications) to the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956). Holders of educational qualifications included in the part II of the Third Schedule should fulfill the conditions stipulated in Section 13 (3) of the said Act. (ii) Five years' professional experience including three years experience in occupational health in the Factories or ports or Mines or construction industry or Occupational Health Service Centresof Employees' State Insurance Corporation (ESIC) or Employees' State Insurance (ESI) Hospital/Occupational Health Disease Centre. **Desirable:** Post Graduate Degree or Diploma in Social and Preventive Medicine or Industrial Hygiene or Physiological Medicine or Occupational Health from a recognized university or Associate Fellow of Industrial Health (AFIH) from a recognised institution. **Note1:** Exact qualification will be indicated at the time of inviting applications for recruitment. **Note 2:** Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified. **Note 3**: The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission for reasons to be recorded in writing, in the case of

	candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Backward Classes, if at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available, to fill up the vacancies reserved for them.

(8)	(9)	(10)
Not applicable	One year subject to completion of two weeks of training.	By Direct recruitment. **Note:** Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation from officers of the Central Government: (a)(i) holding analogous posts on regular basis in parent cadre or department; or, (ii) with five years' regular service in posts in the Level 10 (Rs.56,100-1,77,500) in the Pay Matrix or equivalent in parent cadre or department; and, (b) possessing the educational qualifications and experience as prescribed for direct recruits under column 7. Note: Period of Deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years. The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.

(11)	(12)	(13)
Not applicable	**Group 'A' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:** (i) Additional Secretary or Joint Secretary or equivalent rank officer, Ministry of Labour and Employment - Chairman. (ii) Director or Deputy Secretary or equivalent rank officer, Ministry of Labour and Employment – Member. (iii) Director General or Deputy Director General, Factory Advice Service and Labour Institutes - Member.	Union Public Service Commission shall be consulted while making Direct Recruitment.

[F.No. A-12018/01/2015-ISH -I]

ANURADHA PRASAD, Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2019.11.25 16:20:55 +05'30'